**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या–प्रथम, देवरिया।**
**उपस्थितः मृदॉशु कुमार(उच्चतर न्यायिक सेवा)**
**जे०ओ०कोड–UP 1858**
**सत्र परीक्षण संख्या– 53/2021**
**CNR NO–UPDE010003042021**

उत्तर प्रदेश राज्य

**................अभियोजन पक्ष**

**बनाम**

1– अजीत उर्फ निखिल पुत्र मारकण्डेय सिंह,

2– मारकण्डेय सिंह पुत्र स्व० रमाकान्त सिंह,

3–अतरवासी देवी पत्नी मारकण्डेय सिंह,

साकिनान– मोहरा मनियापार, थाना–मदनपुर, जनपद देवरिया।

**..........अभियुक्त पक्ष**

एस०टी०संख्या– 53/2021

अपराध संख्या–79/2020

राज्य बनाम अजीत उर्फ निखिल व अन्य

धारा– 498A, 304B, 504, 506 भा०दं०सं०

व ¾ डी०पी०एक्ट, वैकल्पिक आरोप धारा–302 भा०दं०सं०

थाना–मदनपुर, जिला–देवरिया।

1–राज्य की ओर से अधिवक्ता उपस्थितः –श्रीधर तिवारी विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

2–अभियुक्त की ओर से उपस्थित अधिवक्ता – श्री संदीप गुप्ता

3–पीड़िता/मृतका का नाम– शुभम सिंह

4– घटना का दिनांक – 26.08.2020

5–अपराध/प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण का दिनांक–27.08.2020

| | |
|---|---|
| 6– आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का दिनांक– | 20.10.2020 |
| 7– उपार्पण तिथि– | 07.01.2021 |
| 8–आरोप विरचित किये जाने का दिनांक– | 01.03.2021 |
| 9–अभियोजन साक्ष्य का समय– | 04.01.2022 से 26.03.2025 |
| 10–बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा–313 विरचित किये जाने का दिनांक– | 09.06.2025 |
| 11–सफाई साक्ष्य – | कोई नही |
| 12–अन्तिम बहस का दिनांक– | 25.08.2025 |
| 13– निर्णय का दिनांक– | 30.08.2025 |
| 14– अन्तिम निर्णय/निष्कर्ष– | दोषमुक्त |
| 15– वादी मुकदमा का नाम– | अभिराम सिंह |
| 16– अभियुक्तगण का नाम– | अजीत उर्फ निखिल, मारकण्डेय सिंह, अतरवासी देवी |

## निर्णय

1. सत्र परीक्षण संख्या–53/2021, मुकदमा अपराध संख्या–79/2020 सरकार बनाम अजीत उर्फ निखिल व अन्य, थाना मदनपुर, जनपद देवरिया की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण अजीत उर्फ निखिल, मारकण्डेय सिंह, अतरवासी देवी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498–A, 304–B, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता(भा०दं०सं०) एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम(डी० पी० एक्ट), थाना–मदनपुर जनपद देवरिया में विचारण हेतु आरोप पत्र अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2– मुकदमा अपराध सं0–79/2020 में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने के उपरान्त विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य संकलन किये जाने के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये गये। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं०–17 देवरिया द्वारा सत्र परीक्षण सं०–53/2021 पर दिनांक–20.10.2020 को प्रसंज्ञान लिया गया तथा अन्तर्गत धारा–207 दण्ड प्रक्रिया संहिता(दं०प्र०सं०) के अनुपालनोपरान्त अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान कर दिनांक–07.01.2021 को सत्र परीक्षण सं०–53/2021 सत्र न्यायालय को उपार्पित की गयी। माननीय सत्र न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण को दर्ज रजिस्टर करते हुए पत्रावली को इस न्यायालय में विचारण हेतु अन्तरित किये जाने पर विचारण प्रारम्भ हुआ।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी अभिराम सिंह द्वारा दी गयी

तहरीर **प्रदर्श क–1** में कथन किया कि प्रार्थी अपनी लड़की शुभम सिह की शादी वर्ष 2015 के मई माह में अजीत सिंह उर्फ निखिल पुत्र मारकण्डेय सिंह, ग्राम मोहरा टोला, मनियापार, थाना मदनपुर, जिला देवरिया से किया था। शादी में माँग के अनुरूप दान दहेज भी दिया था। इसके बावजूद जब से उसकी लड़की ससुराल में आई तब से ही उसका पति व जेठानी व ससुर एवं सास दहेज में और रूपये पैसे की माँग करते हुये बार बार गाली गुप्ता देते व मारते पीटते तथा जान माल की धमकी देते हुये तरह तरह से प्रताड़ित करते रहते थे। दिनांक 26.08.2020 को रात में उपरोक्त अजीत सिंह उर्फ निखिल, मारकण्डेय ससुर, अतरवासी देवी सास व रानी देवी जेठानी यह लोग उसकी लड़की को बुरी तरह मारे तथा जहर देकर जान से मार डाले हैं। अतः निवेदन है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

**4–** वादी मुकमदा अभिराम सिंह की तहरीर के आधार पर थाना–मदनपुर, जनपद देवरिया में अभियुक्तगण अजीत उर्फ निखिल, मारकण्डेय सिंह, अतरवासी देवी के विरूद्ध दिनांक–27.08.2025 को समय 07:16 बजे मुकदमा अपराध संख्या–79/2020 अन्तर्गत धारा–498–A, 304–B, 504, 506 भा०दं०सं० एवं धारा–3/4 डी०पी०एक्ट, में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण अजीत उर्फ निखिल, मारकण्डेय सिंह, अतरवासी देवी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

**5–** अभियोजन प्रपत्रों की प्रतिया एवं उपार्पण पश्चात अभियुक्तगण अजीत उर्फ निखिल, मारकण्डेय सिंह, अतरवासी देवी के विरूद्ध सत्र परीक्षण संख्या–53/2021 , मुकदमा अपराध संख्या–79/2020 में दिनांक–01.03.2021 को आरोप अन्तर्गत धारा– 498–A, 304–B, 504, 506 भा०दं०सं० एवं धारा–3/4 डी०पी०एक्ट व वैकल्पिक आरोप धारा–302 भा०दं०सं० विरचित किये गये। आरोप अभियुक्तगण को सुनाये व समझाये गये जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की तत्पश्चात अभियोजन साक्ष्य आहूत हुआ।

**6– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य:–**

अभियोजन कथानक के समर्थन में अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्यों में साबित प्रपत्रों का विवरण निम्नवत हैं–

| क्र.सं. | साक्षी का नाम | साक्षी/साक्ष्य की प्रकृति | साबित प्रपत्र | प्रदर्श संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पी०डब्लू० 1, दलमर्दन सिंह | | | |
| 2 | पी०डब्लू० 2, –रघुवीर सिंह | तहरीर,<br>पंचनामा | का०सं०–5 क/1<br>का०सं०–20 क 1, 20 क/2 | प्रदर्श क–1<br>प्रदर्श क–2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | पी०डब्लू०–7<br>डा०अकील अहमद | पोस्टमार्टम रिपोर्ट<br>विसरा रिपोर्ट | का०सं०–19 क,<br>का०सं०–9 ख/2 | प्रदर्श क–3<br>प्रदर्श क–4 |
| 4 | पी०डब्लू०–8, अम्बिका राय (विवेचक) | नक्शानजरी<br>आरोप पत्र | का0 सं०–11 क/1,<br>का0 सं०–3 क/1, 3 क/9 | प्रदर्श क–5<br>प्रदर्श क–6 |
| 5 | पी०डब्लू–9,<br>कमलाकान्त भाष्कर (नायब तहसीलदार) | सी०एम०ओ०पत्र<br>पुलिस फार्म–13<br>फोटोनाश<br>पत्र आर०आई०<br>नमूना मोहर | का0 सं०–13 क,<br>का0 सं०–14 क,<br>का0 सं०–15 क,<br>का0 सं०–16 क<br>का0 सं०–18 क | प्रदर्श क–7<br>प्रदर्श क–8<br>प्रदर्श क–9<br>प्रदर्श क–10<br>प्रदर्श क–11 |
| 6 | पी०डब्लू०–10<br>मुन्नीलाल यादव | प्रथम सूचना रिपोर्ट<br>जी०डी०कायमी | का0 सं०–4 क/1, 4 क/3<br>का0 सं०–7 क/2 | प्रदर्श क–12<br>प्रदर्श क–13 |

**7– अभियोजन के मौखिक साक्ष्य:–**

पी०डब्लू०–1 दलमर्दन सिंह, पी०डब्लू०–2 रघुवीर सिंह, पी०डब्लू०–3 सियाराम, पी०डब्लू०–4 रामप्रीत, पी०डब्लू०–5 अखण्ड प्रताप सिंह, पी०डब्लू०–6 लालबहादुर, पी०डब्लू० 7–डा०अकील अहमद, पी०डब्लू० 8–अम्बिका राय, पी०डब्लू० 9–कमलाकान्त भाष्कर (तहसीलदार), पी०डब्लू० 10–मुन्नीलाल यादव को परीक्षित कराया गया।

8– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्यों का संक्षेप में उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है जो इस प्रकार है कि:–

9– अभियोजन के प्रथम **साक्षी पी०डब्लू० 1 श्री दलमर्दन सिंह** ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि ," साक्षी पी0 डब्लू–01 दलमर्दन सिंह के साक्ष्य में आया है कि अभिराम सिंह रिस्ते में उनके साले हैं। उनकी पुत्री का नाम शुभम सिंह था। अभिराम की पुत्री शुभम की शादी आज से लगभग 5–6 वर्ष पूर्व मोहरा टोला मनियापार, थाना मदनपुर, जिला देवरिया के रहने वाले मारकण्डेय सिंह के लड़के अजीत उर्फ निखिल के साथ हुई थी। शादी उसके द्वारा ही करायी गयी थी। शादी के समय अजीत उर्फ निखिल विदेश में प्राईवेट काम करता था। शादी में मारकण्डेय सिंह, अजीत सिंह व उसके परिवार वालो के द्वारा कोई दहेज की मांग नहीं की गयी थी। शादी में कोई विवाद नहीं हुआ था। शादी में अभिराम सिंह ने अपनी हैसियत के अनुसार शुभम को घर गृहस्थी का सामान, कपड़ा, जेवर देकर विदा किया था। शादी के बाद शुभम के ससुराल में उसके पति अजीत उर्फ निखिल कम दहेज का ताना मारते थे और न ही शुभम को मारते पीटते और प्रताड़ित करते थे। वह कभी अजीत उर्फ निखिल को समझाने बुझाने उसके ससुराल नहीं गया था। शुभम की सास अतरवासी देवी, पति व ससुर शुभम को घरेलू कार्यो या दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करते थे। दिनांक–27–08–2020 को उसके साले

अभिराम ने उसे शुभम के मरने की सूचना दी थी। शुभम कैसे मरी उसे नहीं मालूम। विवेचक ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

**10–** अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी **पी०डब्लू० 2 रघुवीर सिंह** ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि" उसकी बहन का नाम शुभम था। उसकी शादी 18–05–2015 को अजीत उर्फ निखिल पुत्र मारकण्डेय सिंह निवासी मनियापार, थाना मदनपुर, जिला देवरिया के साथ हुआ था। दिनांक–19–05–2015 को उसकी बहन की बिदाई हुई और वह बिदा होकर ससुराल चली गयी। शादी में उसके पिता द्वारा उसकी बहन को गहना, कपड़ा व गृहस्थी का सामान व कुछ रूपये नकद देकर विदा किया। उसकी बहन जब अपने ससुराल गयी तो उसके पति अजीत उर्फ निखिल, ससुर मारकण्डेय, सास अतरवासी तथा जेठानी रीना देवी के द्वारा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। इन लोगों के द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाता था न ही ताना मारा जाता था। शुभम अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके पिता शुभम के ससुराल सके परिजनों को समझाने बुझाने नहीं गये थे। दिनांक–27–08–2020 को प्रातः लगभग चार साढ़े चार बजे उसकी बहन की मृत्यु की सूचना उसके ससुराल वालो ने दिया था। सूचना पर वह तथा उसके पिता अभिराम तथा गांव के कुछ अन्य लोग शुभम के ससुराल आये थे। उसकी बहन की मृत्यु कैसे हुई इस विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है। वहां मौके पर पुलिस के लोग तथा कुछ अन्य अधिकारी मौजूद थे। उसके पिता अभिराम सिंह एक प्रार्थनापत्र थानाध्यक्ष मदनपुर को दिए थे उसके पिता की मृत्यु दिनांक–08–12–2021 को हो गयी है। वह अब जीवित नहीं है। उसने उनको लिखते पढ़ते, हस्ताक्षर बनाते देखा था। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–5 क साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने उस पर बने अपने पिता के हस्ताक्षर की पहचान किया और कहा कि यह उसके पिता के हस्ताक्षर है जिसे साक्षी द्वारा प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया गया है। उसकी बहन के शव का पंचनामा उसके सामने हुआ था। तहसीलदार ने पंचनामा की कार्यवाही उसके सामने की थी। उसने भी पंचनामा पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–20 क/1 लगायत 20 क/2 साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही पंचनामा है जो सके सामने तहसीलदार ने तैयार किया था। साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया जिसे साक्षी द्वारा **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया गया है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

11– अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित **पी०डब्लू० 3 सियाराम मिश्रा** ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि" वह अभिराम को जानता है। वह उसके ही गांव के रहने वाले हैं। उनकी लड़की का नाम शुभम था। उसकी शादी का पुरोहित वह ही था। उसकी शादी दिनांक–18–05–2015 को अजीत उर्फ निखिल निवासी मोहरा टोला मनियापार के साथ

हिन्दू रीति–रिवाज से उसने कराया था। उसका तिलक दिनांक–15–05–2015 को हुआ था जो उसने ही कराया था। शादी में कोई वाद विवाद नहीं हुआ था। दान दहेज के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

12– अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 4 रामप्रीत** ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा यह आशय का साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि" वह शुभम को जानता था। शुभम के पिता का नाम अभिराम है। वह उसके ही गांव के रहने वाले हैं। वह उनके घर का नाऊ है। शुभम की शादी मोहरा टोला मनियापार के रहने वाले अजीत उर्फ निखिल के साथ दिनांक–18–05–2015 को हुई थी। शादी में उसने नाऊ का काम किया था। शादी तिलक व विदाई के कार्यक्रम में वह सम्मिलित था। इसके सिवा उसे कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

13– अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 5 अखण्ड प्रताप सिंह** ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि ,"अजीत उर्फ निखिल पुत्र मारकण्डेय सिंह उसके पट्टीदार हैं। उनकी शादी घटना से चार–पांच वर्ष पूर्व पकड़ी बाजार के रहने वाले अभिराम सिंह की लड़की शुभम सिंह के साथ हुई थी। शादी में वह भी पकड़ी बाजार गया था। वहां कोई विवाद दहेज के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में नहीं हुआ था। शुभम विवाह में विदा होकर अपने ससुराल चली आयी। अजीत अपनी पत्नी शुभम को कभी गाली गुप्ता या धमकी नहीं देता था और न तो कभी अभिराम सिंह उसके गांव आकर अजीत को समझाये बुझाये थे। अगस्त 2020 में शुभम की मृत्यु हो गयी जब उसकी तबियत खराब हुई थी तो वह भी गया था उसे दवा इलाज के लिए देवरिया लाया गया था जहां डाक्टरों ने उसे गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया था। गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी। शव को घर लाया गया था। मौके पर पुलिस भी आयी थी। पंचनामा की कार्यवाही उसके सामने हुई थी। उसने भी उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। साक्षी को **प्रदर्श क–2** पंचनामा दिखाया गया। साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया। यह साक्षी भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

14– अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 6 लाल बहादुर** ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि ,"मारकण्डेय सिंह को वह जानता है। उनका घर उसके घर से सटा हुआ है। वह उसके गांव के हैं। अभिराम सिंह को वह जानता है उनकी उसके गांव में रिश्तेदारी है। मारकण्डेय सिंह के लड़के अजीत सिंह उर्फ निखिल की शादी अभिराम सिंह की लड़की शुभम सिंह के साथ वर्श 2015 में हुई थी। शादी में दोनों पक्षो में कोई वाद विवाद नहीं हुआ था। अजीत शराब नहीं पीता था न ही वह अपनी पत्नी को गाली गुप्ता देता था न ही मारता पीटता था। कभी भी उन दोनों के झगड़े के कारण अभिराम सिंह, मारकण्डेय सिंह के घर समझाने

बुझाने नहीं आये थे। घटना अगस्त 2020 की है। निखिल की पत्नी शुभम की तबियत खराब होने की जानकारी हुई थी इसके परिवार के लोग शुभम को अस्पताल ले जा रहे थे रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी। शुभम कैसे मरी इसकी जानकारी उसे नहीं है। यह साक्षी भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

**15–** अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 7 डा०अकील अहमद** ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि ," दिनांक 27.08.2020 को वह जिला अस्पताल देवरिया में पैथालाजिस्ट के पद पर तैनात था उस दिन उनकी ड्यूटी पोस्ट मार्टम हाउस में लगी थी। शुभम देवी पत्नी अजीत सिंह का शव दिनांक 27.08.2020 को समय 2:45 बजे पर प्राप्त हुआ। शव परीक्षण प्रारम्भ का समय 3:00 पी०एम० एवं समाप्ति का समय 3:40 पी०एम० था। शव के साथ सिपाही अनमोल, महिला सिपाही शालिनी तिवारी एवं होमगर्ड नीरज थाना मदनपुर थे। शव की शिनाख्त करने वाले लोग अखण्ड प्रताप सिंह व अविराम सिंह थे। शव की सामान्य ऊँचाई 160 सेमी० वजन 58 किग्रा शारीरिक बनावट मध्यम औसत कद काठी था। शव पर एक अदद साड़ी, ब्लाउज, कड़ा तीन जोड़ी पीली धातु, गुड़िया की माला व टूटी हुई चूढ़ियाँ, सेफ्टी पिन, हाथ में आर०बी० कैनुला लगा हुआ था। एक अदद नथुनी पीली धातु, बिन्दी, पेटी कोट, पैंटी बिछिया 4 अदद सकड़े धातु, एक हेयर कवच था। उक्त सारी चीजें शव के साथ आये पुलिस कर्मियों को सौंप दी गयी थी। हाथ और पैर में ऊपर नीचे अकड़न मौजूद थी। शव विच्छेन दिन के उजाले में हुआ था। नेत्र मुख गुहा की स्थिति में आँखे बन्द थी। चेहरा साइनोज था, स्टूल पास था शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोटे नही थी। मस्तिष्क कंजेस्टेड 1000 ग्राम था। मुँह, जीभ, सांस की नली, थाइराइड, ट्रेकिया थाइराइड बोन सब सामान्य पाये गये। पसलियों, चेस्ट बाल, फेफड़े और उसकी कैविटी कंजेस्टेड थी। दाहिने फेफड़े का वजन 400 ग्राम व बाएं का वजन 350 ग्राम था। हृदय की चारो ओर की झिल्लियाँ सामान्य थी। दाहिना चैम्बर भरा व बायाँ खाली था। हृदय का वजन 200 ग्राम था। अमाशय में सेमी डाइजेस्टेड लिक्विड मटेलियल 300 एम०एल० क्रीमी कलर में मौजूद था। छोटी आँत में लिक्विड व गैस थी। बड़ी आँत में पिकल मैटल व गैस थी। लीवर कन्जेस्टेड 1500 ग्राम था। पित्त की थैली पित्त से भरी थी। प्लीहा 100 ग्राम कन्जेस्टेड था। दाँया गुर्दा 100 व बायाँ गुर्दा 90 ग्राम दोनो कन्जेस्टेड थे। ब्लैडर खाली था। बच्चेदानी खाली थी। मृत्यु का संभावित समय एक दिन के अंदर का था। मृत्यु का तत्कालीन कारण स्पष्ट न होने के कारण विसरा सुरक्षित किया गया था बिसरा में आमाशय, छोटी आँत, यकृत, गुर्दा व प्लीहा का टुकड़ा सुरक्षित किया गया। पोस्टमार्टम के समय साथ में डा० संजय चौहान पी०एच०सी० देवरिया मौजूद थे। जो उनकी राय से सहमत थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर बनाये थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साक्षी के हस्तलेख में है।

जिस पर उनका हस्ताक्षर है। जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। पत्रावली में शामिल रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर वाराणसी का०सं०–9 ख/2 दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही रिपोर्ट है जिसका विसरा सुरक्षित किया गया था। जिसके परीक्षण का परिणाम 1 से 5 में आर्गेनोफास्फोरस इन्सेक्टिसाइड विष पाया गया। इस विष से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। मृतका शुभम की मृत्यु टाक्सिन इफेक्ट से हुई है जो बिसरा रिपोर्ट में पाये गये विष से हुई है। अभियोजन द्वारा बिसरा रिपोर्ट पर प्रदर्श डालने हेतु अनुमति माँगी गयी। अनुमति प्रदान की गयी। बिसरा रिपोर्ट पर **प्रदर्श क–4** डाला गया।

16– अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 8 अम्बिका राय सेवानिवृत्त पुलिस उपाध्यक्ष रामनाथ यादव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि ," दिनांक 27.08.2020 को वह क्षेत्राधिकारी रूद्रपुर जिला देवरिया के पद पर तैनात थे। उस दिन मुकदमा अपराध संख्या–79/2020, धारा–498A, 304B, 504, 506 भा०दं०सं० व ¾ डी०पी०एक्ट, थाना मदनपुर जिला देवरिया का अभियोग पंजीकृत होकर नकल चिक, नकल रपट, जरिये पैरोकार विवेचना हेतु प्राप्त हुये। उन्होंने विवेचना ग्रहण कर उसी दिन पर्चा न०–1 किता किया जिसमें अवलोकन नकल चिक, अवलोकन नकल रपट बयान एफ०आई०आर० व कायमी लेखक हेड मोहर्रिर मुन्नीलाल यादव तथा वादी मुकदमा अभिराम सिंह का बयान अंकित कर घटना स्थलका निरीक्षण कर विवेचना मुंशी से अपने देखरेख में बोलकर नक्शा नजरी तैयार कराया। पत्रावली में शामिल का०सं०–11 क नक्शा नजरी साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने बताया कि यह नक्शानजरी विवेचना मुंशी को बोलकर अपनी देखरेख में तैयार कराकर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया जिसकी पहचान करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। दिनांक 29.08.2020 को पर्चा न०–2 किता किया जिस में अवलोकन गिरफ्तारी नकल रपट अंकित किया। पर्चा न०–3 दिनांक 03.09.2020 को अंकित किया जिसमें अवलोकन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अवलोकन पंचनामा मृतका शुभम देवी का अंकित किया, पर्चा न०–4 दिनांक 11.09.2020 को किता किया जिसमें 14 दिवसीय रिमाण्ड प्राप्त किया। पर्चा न०–5 दिंाक 24.09.2020 को किता किया जिसमें अभियुक्त का रिमाण्ड प्राप्त किया गया। पर्चा न०–6 किता किया गया जिसमें मृतका के बिसरा परीक्षण हेतु सेम्पल सुरक्षित किये गये थे। हेड कांस्टेबल रमेश यादव द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला वराणसी भेजा गया। पर्चा न०–7 दिनांक 29.9.2020 को किता किया जिसमें बयान हुआ दलमर्दन सिंह, पण्डित सीताराम मिश्र , नाऊफ आदि के बयान अंकित कराये गये तथा शादी के कार्ड का अवलोकन किया। पर्चा न०–8 दिनांक 01.10.2020 को किता किया जिसमें नकल रपट गिरफ्तारी का अवलोकन किया तथा रिमाण्ड प्राप्त किया। पर्चा न०–9 दिनांक 03.10.2020 को किता किया गया जिसमें स्वतंत्र गवाह लाल बहादुर सिंह ग्राम

प्रधान, रामप्रताप आदि का बयान अंकित किया गया। पर्चा न०–10 दिनांक 07.10.2020 को किता किया जिसमें अभियुक्तगण के विरूद्ध रिमाण्ड प्राप्त किया उसी दिन पर्चा न०–11 किता किया गया। जिसमें पंचनामा गवाह अनमोल, महिला कांस्टेबल शालिनी तिवारी, उपनिरीक्षक जितेन्द्र तिवारी तथा पंचनामा गवाह अखण्ड प्रताप सिंह आदि का बयान अंकित कराया गया। पर्चा न०–12 दिनांक 08.10.2020 को किता किया जिसमें डाक्टर अकील अहमद का बयान अंकित किया गया। अब तक की विवेचना में अभियुक्ता रीना देवी की नामजदगी गलत पायी गयी। अभियुक्तगण अजीत उर्फ निखिल, मारकण्डेय व अतरवासी देवी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये गये तथा उनके विरूद्ध धारा–498A, 304B, 504, 506 भा०दं०सं० व ¾ डी०पी०एक्ट का चालान जरिये आरोप पत्र सं०–A–112 दिनांक 08.10.2020 को प्रेषित किया गया। पत्रावली में शामिल का०सं०–3 क/1 ता 3 क/9 आरोप पत्र साक्षी को दिखाय गया तो साक्षी ने कहा कि यह आरोप पत्र उसने कम्प्यूटर आपरेटर को बोलकर सी०सी०टी०एन०एस० प्रणाली द्वारा कम्प्यूटर में फीड कराया था। आरोप पत्र पर बने उसने अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया। जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया।

**17–** अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 9 कमलाकान्त** भाष्कर नायब तहसीलदार ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया कि ," दिनांक 27.08.2020 को वह नायब तहसीलदार बरहज के पद पर तैनात थे। थाना मदनपुर की सूचना पर तथा एस०डी०एम० बरहज के आदेश पर वह मृतका शुभम देवी के ससुराल मनियापार थाना मदनपुर जाकर मृतका के शव के पंचनामा की कार्यवाही सम्पन्न किया। उन्होंने उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार तिवारी को बोलकर अपने देखरेख में पंचनामा की कार्यवाही सम्पन्न किया। पंचनामा कार्यवाही करते समय उन्होंने पंचगवाह नियुक्त किये तथा उनसे उनकी राय ली। शव को महिला कांस्टेबल शालिनी द्वारा उलट पलट कर देखा गया उसने बताया कि शव पर कोई जाहिरा चोट नही है। पंचनामा की कार्यवाही सम्पन्न कर पंचनामा को पढ़वा कर पंचगवाह को सुना कर पंच वाहों का हस्ताक्षर बनवाया एवं स्वयं अपना हस्ताक्षर बनाया तथा वहाँ उपस्थित पुलिसकर्मी का हस्ताक्षर बनवाया गया। शव को सील मुहर करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। साक्षी को प्रदर्श क–2 पंचनामा दिखाया गया तो साक्षी ने कहा इसको वह बोलकर उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार तिवारी से लखवाया ता। इस पर साक्षी का हस्ताक्षर है जिसको वह प्रमाणित करते हैं। मौके पर बोलकर अन्य पुलिस प्रपत्रों को भी उपनिरीक्षक से तैयार कराया गया तथा उस पर तहसीलदार द्वारा अपना हस्ताक्षर बनाया गया। पत्रावली में शामिल का०सं०–13 क पत्र सी०एम०ओ०, का०सं०–14 क पुलिस फार्म–13, का०सं०–15 क फोटोनाश, का०सं०–16 ख पत्र आर०आई०, का०सं०–18 क नमूना मोहर साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने कहा सभी पुलिस प्रपत्रों को

उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार तिवारी से अपने समक्ष तैयार कराकर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। जिसको वह प्रमाणित करते हैं जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9, प्रदर्श क–10, प्रदर्श क–11** डाला गया।

18– अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–10 उपनिरीक्षक मुन्नीलाल यादव** ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि ," दिनांक 27.08.2020 को थाना कार्यालय मदनपुर जनपद देवरिया में वह हेड मोहर्रिर के पद पर कार्यालय में मौजूद था। वादी मुकदमा अभिराम सिंह पुत्र गंगा सिंह उपस्थित आये और एक किता हस्तलिखित प्रार्थना पत्र एस०ओ० को प्रस्तु किया। उनके मौखिक आदेश पर मुकदमा अपराध संख्या–79/2020 अन्तर्गत धारा–498A, 304B, 504, 506 भा०दं०सं० व ¾ डी०पी०एक्ट दिनांक 27.08.2020 को समय करीब 7 बजे सुबह बनाम अजीत उर्फ निखिल आदि 4 नफर पंजीकृत किया। उसने कम्प्यूटर आपरेटर राजेश वर्मा को बोलकर इस मुकदमे की जी०डी० कायमी व एफ०आई०आर० सी०सी०टी०एन०एस० प्रणाली पर फीड कराया। साक्षी को का०सं०–4क/1 ता 4क/3 एफ०आई०आर० दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह एफ०आई०आर० उसने ही बोलकर कम्प्यूटर पर फीड कराया था। उस पर साक्षी का नाम अंकित है जिसको वह प्रमाणित करता है। जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया। साक्षी को का०सं०–7क/2 कायमी मुकदमा दिखाया गया तो साक्षी ने देखकर कहा कि इस कायमी पर उसका नाम अंकित है जिस पर **प्रदर्श क–13** डाला गया।

19– **<u>बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं०:</u>**

अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त धारा–332 दं०प्र०सं० के अधीन दोषमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त न पाते हुए अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 अंकित किये गये प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग न करने, मृतका को प्रताड़ित न करने का कथन किया। मृतका दिमाग से कमजोर थी आवेश में कुछ भी कर जाती थी। आवेश में कमरे में कुछ आपत्तिजनक वस्तु खा लीया था। जब तबीयत खराब होने लगी तो दवा कराने अस्पताल ले गये। डाक्टर से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। रास्ते में ले जाते हुये उसकी मृत्यु हो गयी। मृतका के घरवालो को सूचना हमने ही दी थी। विवेचक द्वारा गलत विवेचना की गयी एवं झूठा मुकदमा लिखाया गया एवं गलत आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

20– **<u>अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तर्क</u>**

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा तर्क दिये गये कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका शुभम को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसे जहर देकर उसकी हत्या कर दी

गयी। मृतका अपनी शादी के सात वर्ष के भीतर अभियुक्त के घर में हुई है। घटना के साक्षियों का पक्षद्रोही हो जाने से अभियुक्तगण का दायित्व समाप्त नही होता। अभियुक्तगण द्वारा इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया कि मृतका की मृत्यु किन परिस्थितियों में उनके घर में हुई। अभियुक्तगण द्वारा घटना को अन्जाम दिया गया है। अभियोजन कथानक सन्देह से परे साबित होता है तथा अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

21– **<u>बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क :–</u>**

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि घटना के सभी साक्षी अभियोजन द्वारा स्वंय पक्षद्रोही घोषित कराये गये हैं। औपचारिक साक्षियों के समर्थन से यह नही माना जायेगा कि घटना के तथ्य भी साबित हो गये हैं। दहेज की मांग का भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। मृत्यु से ठीक पूर्व प्रताड़ित किये जाने का भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। अभियोजन द्वारा मामले को सन्देह से परे साबित किया जाना आवश्यक है। मृतका को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में कोई निशान उसके शरीर पर नही पाया गया। मृतका को दुष्प्रेरित किये जाने का भी कोई साक्ष्य अभियोजन प्रस्तुत कर पाने में असफल रहा है। दहेज मांगने या दहेज के संबंध में प्रताड़ना देने का भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। इनके खण्डन में अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अभियोजन कथानक तथा अभियोजन साक्ष्यों में विरोधाभास है। अभियोजन कथानक एवं अभियोजन दस्तावेजों के बिल्कुल विपरीत अभियोजन साक्षियों द्वारा अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। मामला किसी भी स्तर से सन्देह से परे साबित नही हुआ है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

22– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत मामले में उलब्ध दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण अजीत उर्फ निखिल, मारकण्डेय व अतरवासी देवी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुये दहेज हत्या कारित करने के बावत मुख्यतः धारा–498A, 304B, 504, 506 भा०दं०सं० व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियक के तहत दण्डनीय अपराध के सापेक्ष आरोप विरचित किये गये हैं।

23– प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय को यह देखा जाना है कि क्या आरोप पत्र, संकलित साक्ष्य एवं न्यायालय के समक्ष परीक्षित साक्ष्यों द्वारा दिये गये साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित अपराधों के आरोप युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित होते हैं अथवा नहीं।

24– अभियुक्तगण पर धारा–498–A तथा 304–B भा०दं०सं० तथा धारा–3/4 डी०पी०एक्ट के अपराध का आरोप है। धारा–498–A यह प्रावधानित करती है कि इसके अधीन स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा उसको दहेज के लिए प्रताड़ित/क्रूरता किये जाने को

परिभाषित किया गया है।

**25– धारा–304–B भा0 दं0 सं0 दहेज मृत्यु को प्रावधानित करती है:–**

जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है यह उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति या पति के किसी नातेदार ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जायेगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

26– विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा–304 –B भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत अपराध के घटक के सापेक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113–B एवं धारा–106 की उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध उन्हीं परिस्थितियों में की जा सकती है जब अभियोजन दहेज की बावत मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता घटना से पूर्व दहेज की मांग दहेज हत्या के तथ्य को युक्ति–युक्त साक्ष्य से सिद्ध करे। इस स्तर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113–B एवं 106 का उल्लेख किया जाना आवशयक है– धारा–113B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा–जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी। धारा–106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम– विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार– जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।

27– दहेज हत्या के मामले में अभियोजन को सिद्ध करने योग्य आवश्यक तत्वों के सापेक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक खण्डपीठ द्वारा ***वी. के मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड (2015) 9 एस.सी.सी. 588 (श्री–जज बेन्च), बैजनाथ बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. (2017) 1 एस.सी.सी. एवं सतवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा लाईव लॉ 2021 एस.सी. 260*** के मामले में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "आई. पी सी. की धारा 304–बी के तहत किसी भी आरोपी को दोषसिद्ध किये जाने के लिये निम्नलिखित तत्वों को साबित किया जाना आवश्यक है–

1–ऐसी मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर होनी चाहिए।

2–किसी महिला की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अलावा जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई।

3– ऐसी महिला के साथ उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या

उत्पीडन  किया गया हो।

4– ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए।

5– ऐसी क्रूरता या उत्पीडन महिला के साथ उसकी मृत्यु से ठीक पहले किया गया हो।

28– **<u>अवधार्य बिन्दु संख्या–1</u>**

इस बिन्दु के संबंध में मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई इसके संबंध में अभियोजन कथानक **प्रदर्श क–1** तथा प्रकरण के समस्त अभियोजन साक्षियों द्वारा मृतका शुभम की शादी मई 2015 को होना बताया गया है तथा उसकी मृत्यु दिनांक 26.08.2025 को होना बतायी गयी है। मृतका तथा अभियुक्त के विवाह के संबंध में बचाव पक्ष तथा अभियोजन साक्षियों तथा उपलब्ध दस्तावेजों में कोई विरोधाभास नही है यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्वीकृत है कि अभियुक्त अजीत उर्फ निखिल तथा मृतका शुभम की शादी मई 2015 को हुई थी तथा उसकी मृत्यु दिनांक 26.08.2020 को होने का अभियोजन कथानक प्रस्तुत किया गया है। यह तथ्य भी इस मामले में विवादित नही है कि शुभम की मृत्यु दिनांक 26.08.2020 को न हुई हो इसके संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा अभियोजन साक्षियों से कोई प्रतिपरीक्षा भी नही की गयी है। मृतका शुभम के शव का पंचनामा दिनांक 27.08.2020 को प्रातः 8:15 बजे किया गया तथा शव का पोस्टमार्टम दिनांक 27.08.2020 को समय 3:00 पी0एम0 से 3:40 पी0एम0 तक किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सिद्ध है कि दिनांक–26.08.2020 को मृतका शुभम देवी की मृत्यु अभियुक्त अजीत उर्फ निखिल तथा शुभम देवी की शादी के लगभग पाँच वर्ष के भीतर हो गयी है। अर्थात् शुभम देवी की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर होना अभियोजन द्वारा सिद्ध किया गया है।

29– **<u>अवधार्य बिन्दु संख्या–2</u>**

प्रस्तुत प्रकरण में मृतका शुभम देवी की मृत्यु के संबंध में मामले के चिकित्सक डा0 अकील अहमद जिनके द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श क–3** तैयार की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अपने साक्ष्य में चिकित्सक द्वारा मृतका की मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण उसका बिसरा सुरक्षित रखा गया था। उसके शरीर पर कोई अन्दरूनी अथवा बाहरी चोट दर्शित नही थी। डाक्टर द्वारा कथन किया गया कि अगर कोई जहरीला पदार्थ खा ले तो इस प्रकार उसकी मृत्यु हो सकती है। इस बिन्दु पर अभियोजन कथानक **प्रदर्श क–1** में कथन है कि पति अजीत उर्फ निखिल व सास अतरवासी देवी व ससुर मारकण्डेय द्वारा मृतका से दहेज में रूपये पैसे की माँग करते हुये मृतका की हत्या की गई, जबकि न्यायालय के समक्ष अंकित साक्ष्यों में अभियोजन साक्षियों द्वारा अतिरिक्त पैसे की मांग न होने और न ही उसको प्रताड़ित किये जाने तथा मृतका के ससुराल में खुश होने का साक्ष्य दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डाक्टर अकील अहमद द्वारा

मृतका शुभम देवी की बिसरा सुरक्षित रखा गया। शुभम ने आवेश में कमरे में कुछ आपत्तिजनक वस्तु खा लीया था। जब तबियत खराब होने लगी तो दवा कराने अस्पताल ले गये। डाक्टर से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। रास्ते में ले जाते हुये उसकी मृत्यु हो गयी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणसी की रिपोर्ट **प्रदर्श क–4** के अनुसार बिसरा के पाँच भागो में आर्गेनोफास्फोरस इन्सेक्टीसाईड विष पाया गया। मृतका की मृत्यु उसके शरीर में उपस्थित विष के कारण होना दर्शित होता है। चिकित्सक द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में मृतका की मृत्यु का समय एक दिन पूर्व होना पुष्ट होता है। पंचनामे के पंचानो द्वारा मृत्यु के संबंध में पूंछा गया तो उन्होंने मृत्यु के बारे में सही जानकारी होने से इंकार किया। बिसरा सुरक्षित रखा गया। मृतका की मृत्यु का समय रात्रि 11:30 बजे होना दर्शित है। मृत्यु का कारण विष का सेवन है जो मृत्यु का असामान्य परिस्थितियों में होना सिद्ध करते हैं।

30– **<u>अवधार्य बिन्दु संख्या–3,4 व 5</u>**

दहेज हत्या के मामले में तृतीय बिन्दु पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता या प्रताड़ना देने तथा चतुर्थ बिन्दु ऐसी क्रूरता या प्रताड़ना दहेज की मांग या उससे संबंधित होने एवं पंचम बिन्दु क्रूरता या प्रताड़ना महिला की मृत्यु के ही पूर्व कारित किये जाने का संबंध है। उपरोक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित है कि घटना की प्रथम तहरीर प्रदर्श क–1 मृतका के पिता अभिराम सिंह द्वारा अंकित करायी गयी थी। जिसमें उसकी लड़की शुभम सिंह की शादी मई 2015 में होना अंकित किया गया तथा मृतका के पति, जेठ, ससुरा व सास द्वारा दहेज के लिये प्रताड़ना दिये जाने का उल्लेख करते हुये दिनांक 26.08.2020 की रात को मृतका के पति अजीत उर्फ निखिल, मारकण्डेय सिंह ससुर, अतरवासी देवी सास तथा रीना देवी जेठानी के द्वारा मारने पीटने के पश्चात जहर देकर मार डालने के बावत तहरीर दी गयी तथा घटना का समय रात्रि 11:30 बजे का अंकित कराया गया।

31– प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्य अंकित कराये जाने से पूर्व तहरीरकर्ता/वादी मुकदमा की मृत्यु हो जाने के कारण उसके साक्ष्य पत्रावली पर अंकित नही कराये जा सके। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अपने पिता के हस्ताक्षरों को साक्षी रघुवीर सिंह द्वारा साबित किया गया तथा पंचनामे पर अपने हस्ताक्षरों की शिनाख्त करते हुये पंचनामे को **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया है।

**32–** इस साक्षी द्वारा अपनी परीक्षा में यह साक्ष्य दिया गया कि उसके पिता ने एक प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष को दिया था उसके पिता की मृत्यु 08.12.2021 को हो गयी है। लोक अभियोजक द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया कि वह 2017 से गुजरात में प्राइवेट नौकरी करता है। शादी के बाद से कभी उसकी मुलाकात मृतका शुभम से नही हुई। मरने

की सूचना पर उसके ससुराल पहुँचा था। अपने पिता के साथ दिनांक 27.08.2020 को वह अपने पिता के साथ पाँच या साढ़े पाँच बजे ससुराल पहुँच गये।

33– बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में साक्षी द्वारा यह साक्ष्य दिया गया कि प्रदर्श क–1 तहरीर उसके सामने नही लिया था। पिता जी ने किसी से लिखवाया था। वह उसे नही मालूम पिता जी का इस तहरीर पर हस्ताक्षर है, लिखावट किसकी है उसे नही मालूम है। उसकी बहन कथित मृतका अक्सर बीमार रहती थी तथा उसको पेट की भी बीमारी थी जिससे उसका हमेशा दवा इलाज चलता था। उस दिन भी हम लोगो को सूचना पहले उसकी बीमारी की ही मिली थी। उसकी शादी में किसी भी प्रकार की दहेज की माँग नही की गयी थी।

34– घटना के अन्य साक्षी दलमर्दन सिंह जो कि मृतका का मामा है जिसके द्वारा मृतका शुभम की शादी अभियुक्त से कराये जाने का अभियोजन साक्ष्य दिया गया है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करते हुये अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दिया कि शुभम कैसे मरी इसकी उसे जानकारी नही है। अभिराम की पुत्री के सास, ससुर के द्वारा कम दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करने या मारने पाटने के बारे में उसे कोई जानकारी नही है। वह शुभम की मृत्यु की सूचना पर उसके ससुराल नही गया था बल्कि शुभम की मृत्यु के कुछ दिन बाद अभिराम सिंह के घर गया था।

35– बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि अभिराम सिहं जो साक्षी के साले हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। अजीत उर्फ निखिल व शुभम की शादी में कोई दहेज की माँग नही हुयी थी और न ही कोई लेन देन हुआ था। उसके सामने कोई दहेज की माँग या दहेज के लिये प्रताड़ित करने की बात नही हुई थी। जब वह अभिराम से मिला और शुभम की मृत्यु के बारे में चर्चा हुयी तो उन्होंने बताया कि शुभम की तबीयत खराब थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी।

36– घटना के संदर्भ में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वंतत्र साक्षी पी०डब्लू०–3 सियाराम मिश्र, पी०डब्लू०–4 रामप्रीत व पी०डब्लू०–6 लालबहादुर, जो पुरोहित एवं गांव के निवासी होने के नाते स्वतंत्र साक्षियों के रूप में प्रस्तुत किये गये। साक्षी लाल बहादुर द्वारा यह साक्ष्य दिया गया कि–उसके घर से अजीत उर्फ निखिल का घर एक दम सटे हुये हैं। अजीत उर्फ निखिल सऊदी अरब में काम करता था। घटना के समय वह घर पर आया हुआ था। घटना के दिन शुभम की तबियत किस कारण से बिगड़ी इसकी जानकारी मुझे नही है। उसकी मृत्यु के बाद सुनने में आया था कि उसकी मृत्यु जहरीले पदार्थ के सेवन से हुयी है। दहेज के संबंध में विवाद की कोई जानकारी उसे नही है। सियाराम मिश्र द्वारा भी अपनी जिरह में यह साक्ष्य दिया गया कि लड़की अपने आप मरी है। यह बात मृतका के पिता ने उनसे बतायी थी दहेज के लालच में ससुराल वालो

ने मारा हो यह बात मृतका के पिता ने उन्हें कभी नही बतायी।

37– साक्षी रामप्रीत द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दिया कि किसी के मुँह से दहेज की कोई बात नही सुनी। मृतका की मृत्यु के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नही है। लड़की की मृत्यु दहेज के कारण हुई है ऐसी कोई जानकारी ही है।

38– बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी०डब्लू०–6 लालबहादुर से की गयी प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दिया कि–अजीत की पत्नी शुभम की अक्सर तबियत खराब रहती थी जब उसका दवा इलाज होता था तो ठीक हो जाती थी। घटना के समय उसकी तबियत खराब हुई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में वह मर गयी, कैसे मरी इसकी जानकारी मुझे नही है।

39– साक्षी पी०डब्लू०–5 अखण्ड प्रताप सिंह जो कि पंचनामे का गवाह भी है यह भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा इस साक्षी से की गयी जिरह में साक्षी यह साक्ष्य दिया कि वह नही जानता कि शुभम की मृत्यु कैसे हुई। तबीयत खराब होने की सूचना पर वह अजीत के घर गया था। वहाँ से गाड़ी की व्यवस्था करके वह लोग सदर अस्पताल लाये थे।

40– बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि कथित मृतका लगभग नौ बजे भोजन करने के उपरान्त घर में सोयी थी उसके पेट में दर्द उठा अचानक तबियत गंभीर हो गयी। हम लोग दौड़कर बुलाने मृतका के पास पहुंचे तो वह पूरे होशहवास में बता रही थी कि उसके पेट में कई बार इस तरह से दर्द उठा है ठीक हो जाता है इस बार थौड़ा ज्यादा उठा है। अजीत उर्फ निखिल मौके पर ही था। उसने मेरा फोन लेकर अपनी ससुराल में मृतका की तबियत खराब होने की सूचना दिया और फोन पर ही कहा कि हम लोग हास्पिटल लेकर जा रहा हैं आप लोग भी हास्पिटल आइये। तत्पश्चात हम लोग गाड़ी मंगा कर शुभम को गाड़ी में बैठा कर ले गये। मैं भी साथ में था और अजीत भी गाड़ी में था। वह गाड़ी में पूरे होशहवाश में थी। देवरिया अस्पताल पहुँचने पर डाक्टरों ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में वह मर गयी। उस समय वह भी साथ में था। शादी या शादी के बाद उसके मरने तक दहेज की कोई बात नही हुई थी। शुभम के मायके वाले भी आ रहे थे। मगर जब उसकी मृत्यु हो गयी तो हम लोग उसका शव लेकर गाँव चले आये।

41– चिकित्सक के रूप में परीक्षित डा० अकील अहमद द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया गया है। मृतका की मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण बिसरा के सुरक्षित किये जाने का साक्ष्य दिया गया तथा मृतका के शरीर में आर्गेनोफास्फोरस इन्सेक्टीसाईड विष पाये जाने का साक्ष्य दिया गया है। जिरह में साक्ष्य दिया कि कोई व्यक्ति विष अथवा उसी तरह का कोई रासायनिक खा ले तो उसके लक्षण शरीर पर उभर कर आते हैं। कोई व्यक्ति यदि जहर खाये

तो मरते समय या मरने पर उसके शरीर में नीलापन आ जाता है। पोस्टमार्टम करते समय डाक्टर को मृत्यु का कारण पता नही था। मृतका के शरीर पर किसी चोट का कोई निशान नही था। पोस्टमार्टम के समय मृतका का पहचान चिन्ह या बाहरी चोट अंकित नही किया था। पोस्टमार्टम के समय हमारे निर्देशन में हमारे सहयोगी बिसरा सुरक्षित करने हेतु अंग के टुकड़े निकालते हैं। मृतका के शव की पहचान करने वाले व्यक्ति अभिराम सिंह व अखण्ड प्रताप सिंह थे।

42– विवेचक अम्बिका राम पी०डब्लू०–8 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दिया गया कि–प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई तिथि था या नही इसके बारे में मुझे नही पता। मुझे यह भी जानकारी नही है कि अभिराम सिंह ने उस पर हस्ताक्षर किया था या नही और न ही इस बात की जानकारी कि उनके प्रार्थना पत्र पर थाने के किसी अधिकारी का मार्क है या नही। मृतका के मृत्यु स्थान पर या उसके अगल बगल कोई भी जहर की शीशी या दवा की शीशी या कीटनाशक दवा नही मिली थी। मृतका को किसी ने बचाने का प्रयास किया या नही इसकी भी कोई जानकारी नही है।

43– पी०डब्लू०–9 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दिया गया कि–मृतका की घटना के संबंध में मुझे कोई जानकारी नही है। मुझे यह बताया गया था कि मृत्यु हो गयी है मृत्यु कैसे हुई है यह नही बताया गया था। मैं वहाँ एस०डी०एम० साहब के आदेश पर गया था वहाँ उपस्थित लोगो का नाम मुझे नही मालूम है। पंचगवाहों का मैंने कोई पहचान पत्र नही लिया था। पंचनामा के गवाहों का नाम मालूम नही है। पंचगवाहों ने क्या बताया था इस समय मुझे कोई जानकारी नही है। मृतका के शरीर पर क्या था क्या नही था जानकारी नही है। पुलिस ने मुझे कोई बरामद सामान नही दिखाया था। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही थी, मै बैठा था। पुलिस ने मुझे पेपर हस्ताक्षर करने के लिये दिया था। मैंने उस पर अपना हस्ताक्षर किया था। इसके अलावा मुझे कुछ नही पता।

44– पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व अभियोजन कथानक से यह स्पष्ट है कि मृतका शुभम देवी की मृत्यु दिनांक 26.08.2020 को हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श क–3** में चिकित्सक पी०डब्लू० 7 डा० अकील अहमद द्वारा मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने पर उसका बिसरा सुरक्षित रखा गया। परीक्षण के लिये विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणसी भेजा गया जिसकी रिपोर्ट में मृतका के शरीर में आर्गेनोफास्फोरस इन्सेक्टिसाइड विष पाया गया। जो कि घर में रखे जाने वाले कीटनाशकों की श्रेणी का विष है। अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि मृतका के शुभम देवी के शरीर में पाया गया विष उसने स्वयं ग्रहण किया या जबरदस्ती उसे दिया गया। क्योंकि उसके शरीर पर प्रतिस्पर्धा का कोई निशान नही पाया गया। पंचनामा तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर यह सिद्ध है कि मृतका के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नही थी।

जिससे यह भी दर्शित होता है कि मृतका की मृत्यु से ठीक पूर्व कोई प्रताड़ना नही दी गयी थी। मृतका के शरीर पर अपनी रक्षा हेतु किसी प्रकार की प्रतिरक्षा का कोई चिन्ह या चोट नही थी। मृतका की मृत्यु दहेज प्रताड़ना के कारण हुई हो यह भी अभियोजन सिद्ध करने में असफल है। क्योंकि घटना के संबंध में प्रस्तुत तथ्य के सभी साक्षियों द्वारा मृतका के ससुरालवालो द्वारा दहेज के लिये प्रताड़ित किये जाने से स्पष्ट इन्कार करते हुये अभियोजन कथानक के विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। मृतक अभिराम सिंह वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर भी बखूबी साबित नही है। केवल वादी मुकदमा के हस्ताक्षरों की शिनाख्त उसके पुत्र द्वारा की गयी है। वादी मुकदमा अभिराम सिंह ने अपनी तहरीर में क्या लिखा था इसे **प्रदर्श क–1** को साबित करने वाले व्यक्ति द्वारा सिद्ध नही किया गया है। यह भी विचारणीय है कि मृतका के भाई पी०डब्लू०–2 रघुवीर सिंह द्वारा अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि वह घटना के समय गुजरात में था। शादी के बाद मृत्यु होने तक वह मृतका से कभी नही मिला। मृत्यु की सूचना पर वह गुजरात से सुबह आया था। तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार घटना का समय रात्रि 11:30 का दर्शाया गया है तथा पंचनामा प्रातः 8:15 बजे होना प्रदर्श क–2 में अंकित जिसे भी साक्षी रघुवीर सिंह द्वारा साबित किया गया है। पंचनामे पर रघुवीर सिंह के हस्ताक्षर अंग्रेजी में हैं तथा न्यायालय के समक्ष शपथ पर दिये गये साक्ष्यों में उसके हस्ताक्षर हिन्दी में किये गये हैं। अभियोजन इस साक्षी से यह सिद्ध करा पाने में असफल रहा कि घटना समय 11:30 बजे रात्रि की सूचना पाने पर वह सुबह 5:30 बजे गुजरात से देवरिया कैसे पहुँचा जबकि वह वर्ष 2017 से गुजरात में निवास कर रहा है। उसे सूचना सुबह 4:30 बजे मिली और वह 5:30 बजे मृतका की ससुराल पहुँच गया। वह गुजरात से कब आया इसका कोई साक्ष्य नही दिया गया जो मामले को सन्देहास्पद बनाते हैं। दहेज मृत्यु या दहेज प्रताड़ना के संदर्भ में घटना के सभी साक्षियों द्वारा अभियुक्तगण के द्वारा मृतका को दहेज के लिये प्रताड़ित करने अथवा दहेज के लिये उसकी हत्या किये जाने से इंकार किया गया है। पत्रावली पत्र उपलब्ध मौखिक साक्ष्यों के आधार पर मृतका को किसी प्रकार की दहेज प्रताड़ना या दहेज हत्या या दहेज माँगने को साबित कराये जाने में अभियोजन असफल रहा है।

45– प्रकरण में यह विचारणीय बिन्दु है कि मृतका द्वारा आत्महत्या की गयी तथा ऐसी आत्महत्या अभियुक्तगण द्वारा दी गयी प्रताड़ना के कारण की गयी। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के साक्ष्य के बयान से यह स्पष्ट है कि मृतका अपने ससुराल में खुश थी ससुराल वालों से उसके संबंध मधुर एवं सामान्य थे। वह बीमार रहती थी तथा दवा इलाज कराये जाने पर ठीक हो जाती थी। घटना के दिन उसके पेट में दर्द था। उसको अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी। वह अपने ससुराल में खुश थी। वह गोरखपुर अस्पताल ले जाते समय मरी थी। जो

यह दर्शित करता है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को बचाने का प्रयास किया गया था। अभियोजन द्वारा मृतका के साथ दहेज अथवा अन्य किसी प्रकार की प्रताड़ना का तथ्य बखूबी साबित नही किया जा सका। औपचारिक साक्षियों के साक्ष्य से भी दहेज हत्या अथवा दहेज प्रताड़ना , दहेज माँगने के तथ्य साबित नही होते हैं। चिकित्सक के बयानो से यह विदित है कि मृतका के शरीर में विष पाया गया किन्तु यह स्पष्ट नही है कि मृतका को विष किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया था अथवा विष का सेवन उसने स्वयं किया था। विवेचक के साक्ष्यों से भी यह स्पष्ट नही है कि मृतका को विष जबरजस्ती दिया गया हो। घटनास्थल पर किसी कीटनाशक दवा की कोई शीशी/डब्बा/बोतल इत्यादि बरामद नही हुआ। मृतका की मृत्यु अस्पताल ले जाने के दौरान हुई किन्तु यह विष किसी अभियुक्त द्वारा या अभियुक्तगण की प्रताड़ना या दुष्प्रेरण के कारण मृतका द्वारा ग्रहण किया गया था। ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। मृतका की मृत्यु से पूर्व किसी प्रकार की प्रताड़ना को भी साबित किये जाने में अभियोजन असफल रहा है।

46– मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई तथा विवाह के सात वर्ष के भीतर होने के अतिरिक्त अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि मृतका की मृत्यु उसके पति या पति के नातेदारो द्वारा किसी प्रकार की क्रूरता या उत्पीड़न के कारण या दहेज की माँग या दहेज प्रताड़ना के कारण हुई है। अभियोजन दहेज उत्पीड़न अथवा दहेज की माँग अभियुक्तगण द्वारा किये जाने को भी सिद्ध कर पाने में असफल है। अभियोजन यह सिद्ध कर पाने में भी असफल है कि मृतका की मृत्यु किसी क्रूरता या उत्पीड़न का परिणाम थी या मृतका से मृत्यु के ठीक पहले किसी प्रकार की क्रूरता या उसका उत्पीड़न किया गया हो। ऐसी दशा में अभियोजन कथानक युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित कर पाने में भी असफल रहा है कि मृतका की मृत्यु दहेज हत्या थी अथवा अभियुक्तगण द्वारा उत्प्रेरित किये जाने अथवा उनके द्वारा प्रताड़ना दिये जाने के का परिणाम थी। ऐसी दशा में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–498–A एवं 304–B भा०दं०सं० अथवा ¾ डी०पी०एक्ट के आवश्यक तत्व अभियोजन साबित नही कर सका है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण धारा–498–A एवं 304B भा०दं०सं० व ¾ डी०पी०एक्ट की परीधि से भी बाहर है।

47– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षी जिसमें मृतका के पिता उसकी मामा, भाई एवं अन्य रिश्तेदार एवं स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्यों से यह स्पष्ट नही है कि मृतका से अभियुक्तगण द्वारा दहेज में रूपये पैसे की माँग की जाती हो तथा दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया जाता रहा हो अथवा प्रताड़ना मृत्यु से ठीक पूर्व कारित की गयी हो। अतः यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध दहेज हत्या से संबंधित अवधार्य बिन्दु संख्या–3 लगायत 5 को बखूबी साबित करने में अथवा युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित कर पाने में

असफल रहे हैं। अभियोजन मात्र यह साबित कर पाया है कि मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुयी थी और ऐसी मृत्यु शादी के सात वर्ष के भीतर हुयी थी। दहेज हत्या के लिए जब तक सभी बिन्दुओं को साबित न कर दिया जाये तब तक अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–113–B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत दोषी होने की भी उपधारणा नही की जा सकती।

48– उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा साक्षियों के बयानों के आधार पर अभियोजन प्रस्तुत प्रकरण को युक्ति –युक्त सन्देह से परे एवं बखूबी साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियुक्तगण द्वारा मृतका शुभम देवी को शादी के पश्चात दहेज की मांग के लिये प्रताड़ित करने उसके पति या नातेदारों द्वारा दहेज के लिये शारीरिक अथवा मानसिक क्रूरता किया जाना अथवा अन्य किसी प्रकार से मृतका के साथ क्रूरता किये जाने को बखूबी साबित कर पाने में अभियोजन असफल है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दहेज प्रताड़ना, दहेज हत्या अथवा दहेज की माँग अन्तर्गत धारा–498A, धारा–304–B भा०दं०सं० अथवा धारा– ¾ डी०पी०एक्ट को साबित कर पाने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा है। अतः पर्याप्त साक्ष्यों के आभाव में अभियुक्तगण अजीत उर्फ निखिल, मारकण्डेय व अतरवासी देवी अन्तर्गत धारा– 498A, धारा–304–B भा०दं०सं० एवं धारा– ¾ डी०पी०एक्ट में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

49– **अभियुक्तगण पर धारा–504 तथा 506 भा०दं०सं० के अपराध का आरोप है। धारा–504 भा०दं०सं० यह प्रावधानित करती है** कि लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अवमान के लिये दण्ड को प्रावधानित करती है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुये प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति या अन्य अपराध कारित करेगा। वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

50– **धारा 506 भा०दं०सं०** यह प्रावधानित करती है कि –कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या ख्याति या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने की धमकी देता है या धमकी मृत्यु कारित करने की हो। यह धमकी इस आशय से देता है कि उसे संत्राय कारित किया जाये,या उससे धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से आबद्ध न हो या किसी कार्य को करने का लोप कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है।

51– अभियुक्तगण पर लगे आरोप अन्तर्गत धारा–504 व 506 भा०दं०सं० के

परिप्रेक्ष्य में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन से यह विदित है कि अभियोजन द्वारा मृतका के साथ किसी प्रकार की गाली गलौज या जान से मारने की धमकी देने के अभियोजन कथानक के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। अभियोजन उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लोक शान्ति को भंग करने, अपमान कारित करने या साशय अपमानित कर प्रकोपित किये जाने के आवश्यक तत्वों को साबित कर पाने में असफल है।

52– साथ ही धारा– 506 भा०दं०सं० के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार के संत्रास या कार्य के लोप किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। धारा–504 भा०दं०सं० एवं 506 भा०दं०सं० प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किये जाने वाला अपराध है यह सामान्य उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में नही पढ़ा जा सकता। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही जो किसी व्यक्ति को अपमानित किये जाने के आशय से प्रकोपित किया जाना सिद्ध करता हो या किसी प्रकार का सन्त्रास कारित करता हो। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–504 एवं 506 भा०दं०सं० के अपराध के आरोप के आवश्यक तत्वों की पूर्ति न होने के कारण लोक शान्ति भंग को प्रकोपित करने एवं आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने के अपराध का गठन नही होता। अतः पर्याप्त एवं प्रबल साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्तगण धारा–504 व 506 भा०दं०सं० के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

53– अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय द्वारा धारा–302 भा०दं०सं० के अन्तर्गत वैकल्पिक आरोप विरचित किया गया है। मृतका की मृत्यु अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा किया जाना अभिकथित है किन्तु मृतका की मृत्यु अभियोजन साक्ष्यों के अनुसार इलाज हेतु गोरखपुर ले जाते समय हुई। प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा हत्या कारित किये जाने का भी कोई कथन नही किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा में कोई जाहिरा चोट दर्शित नही है। नक्शानजरी के अनुसार भी घटनास्थल पर कोई विष की बोतल या शीशी बरामद नही हुई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मात्र इतना दर्शित है कि मृतका के शरीर में विष पाया गया किन्तु यह सिद्ध नही है कि यह विष अभियुक्तगण द्वारा ही मृतका को दिया गया हो। मृतका के शरीर में विष पाये जाने मात्र से अभियुक्तगण की संलिप्तता सिद्ध नही होती।

54– अभियोजन की ओर से परीक्षित तत्य एवं घटना के सभी साक्षी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक के विपरीत साक्ष्य दिया है। पक्षद्रोही साक्षियों से अभियोजन द्वारा पर्याप्त जिरह किये जाने के पश्चात भी किसी साक्षी से घटना के संबंध में दहेज की माँग किये जाने, दहेज की प्रताड़ना के संबंध में

अथवा दहेज हत्या अथवा मृत्यु से पूर्व किसी प्रकार की प्रताड़ना के संबंध में कोई साक्ष्य निकलवा पाने में अभियोजन पूरी तरह असफल रहा है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों से यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु में उसके ससुरालीजन का कोई योगदान नही रहा है बल्कि अभियोजन साक्षियों मृतका के भाई एवं मामा तथा अन्य स्वतंत्र साक्षियों द्वारा मृतका के ससुराल में खुश होने, मृतका को पेट की बीमारी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 में अंकित किसी तथ्य का समर्थन अभियोजन साक्षियों द्वारा नही किया गया है। मृतका शुभम देवी की मृत्यु ससुराल में होने मात्र से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–498A, 304B भा०दं०सं० व ¾ डी०पी०एक्ट के अपराध का गठन सिद्ध नही हो जाता जब तक कि तथ्य के साक्षियों द्वारा घटना की पुष्टि न की जाये। औपचारिक साक्षी घटना के साक्षी नही हो सकते। उनके द्वारा मात्र दस्तावेजी साक्ष्यों के संबंध में ही साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। अपराधो के आवश्यक तत्व सिद्ध न हो तो औपचारिक साक्षियों के साक्ष्य कमजोर होना स्वाभाविक है क्योंकि वह घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नही हो सकते। चिकित्सक द्वारा मृतका की मृत्यु के उपरान्त किये गये चिकित्सकीय परीक्षणों के संबंध में ही साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान जो साक्ष्य संकलित किया गया तथा जो साक्ष्य अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० के अधीन दर्ज किये गये उनकी सम्पुष्टि तथ्य के किसी साक्षी द्वारा नही की गयी है बल्कि अभियोजन साक्षियों द्वारा पुलिस को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० पुलिस ने कैसे लिख दिये इस विषय में उन्हें कोई जानकारी होने से भी इन्कार किया गया है। जहाँ तक तहसीलदार एवं एफ०आई०आर० लेखक का प्रश्न है। तहसीलदार द्वारा मृतका के शरीर का ऊपरी परीक्षण कर पंचनामा तैयार किया गया। मृत्यु के कारण एवं आन्तरिक परीक्षण हेतु पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया तथा एफ०आई०आर० लेखक द्वारा **प्रदर्श क–1** के दिये जाने का अभियोग पंजीकृत किया गया। यह साक्षी भी घटना के तथ्यों के साक्षी नही हैं। मृतका को दहेज के लिये प्रताड़ित किये जाने, शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न, मृत्यु से पूर्व प्रताड़ना अथवा दहेज हत्या का साक्ष्य इन औपचारिक साक्षियों द्वारा नही दिया जा सकता। घटना के तथ्य के साक्षियों के द्वारा अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार की गाली गलौच या जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। घटना के तथ्य के साक्षियों के आधार पर धारा–498A, 304B, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आवश्यक तत्वों की पूर्ति करा पाने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा।

**55–** यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से मृतका शुभम देवी का संबंध उसके ससुरालीजन से खुशहाल था तथा उसकी मृत्यु जहर खाने के

कारण अवसाद में आकर की गई हो। यह भी साबित नही जहाँ तक धारा–302 भा०दं०सं० का संबंध है प्रस्तुत प्रकरण में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होने के कारण परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी एकमात्र साक्ष्य हो सकता है। जिसका विश्लेषण किया जाना भी समीचीन होगा। **शरद विरिधिचन्द सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य** AIR 1984 SC 1622 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्षियों के संबंध में परिस्थितियों की सम्बद्ध श्रृंखला का उल्लेख किया गया है जिसके संबंध में प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी भी अभियोजन द्वारा साबित नही की जा सकी है। जिससे यह अवधारित किया जा सके कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका की हत्या की गयी है। बचाव पक्ष के साक्षियों द्वारा सफाई साक्ष्य में मृतका शुभम देवी द्वारा आत्महत्या किये जाने का साक्ष्य दिया गया है। जो अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद बनाता है जिसके संबंध में अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नही दिया गया जो यह सिद्ध करता हो कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका शुभम देवी की हत्या कारित की गयी। ऐसे में अभियोजन कथानक एवं उपलब्ध साक्ष्यों से वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा–302 भा०दं०सं० का अपराध भी युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित नही होता तथा अभियुक्तगण इस सन्देह का लाभ पाने के हकदार हो जाते हैं तथा सन्देह का लाभ पाते हुये अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा–302 भा०दं०सं० के अपराध के आरोप में भी **दोषमुक्त** किये जाने योग्य हैं।

56– पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन एवं अर्थान्वयन के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभियोजन यह साबित कर पाने में पूर्णतः असफल रहें हैं कि अभियुक्तगण अजीत उर्फ निखिल, मारकण्डेय एवं अतरवासी देवी द्वारा मृतका शुभम देवी को दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किया जाता था तथा उनके द्वारा दिनांक 26.08.2020 को मृतका को प्रताड़ित करते हुये मार दिया गया हो। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आलोक में अभियोजन अभियुक्तगण पर अधिरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–498A, 304B, 504, 506 भा०दं०सं० तथा वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा–302 भा०दं०सं० एवं धारा– ¾ डी०पी०एक्ट का अपराध साबित करने में पूर्णतः विफल रहें हैं। अभियोजन अभियुक्तगण पर लगे किसी अपराध को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित नही कर पायें हैं। जो मामले को सन्देहास्पद बनाते हैं और इस सन्देह का लाभ पाते हुये अभियुक्तगण **दोषमुक्त** किये जाने योग्य हैं।

57– यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पी०डब्लू०–2 रघुवीर सिंह पुत्र अभिराम सिंह, ग्राम पकड़ी बाजार, थाना मदनपुर, जिला देवरिया द्वारा घटना से संबंधित तहरीर **प्रदर्श क–1** में अभियुक्तगण के विरूद्ध उसके पिता द्वारा प्रार्थना पत्र थाने पर दिया जाना स्वीकार किया है। संबंधित तहरीर में साक्षी द्वारा अपने पिता के हस्ताक्षर का होना सिद्ध किया गया है, परन्तु

न्यायालय के समक्ष शपथ पर दिये गये बयानो में तहरीर से विपरीत जाकर अभियुक्तगण के निर्दोष होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः यह भी स्पष्ट है कि इस साक्षी द्वारा शपथ पर न्यायालय के समक्ष या तो सत्य कथन किया गया है अथवा उसके द्वारा शपथ पर दिये गये बयान झूठे हैं। ऐसी स्थिति में इस साक्षी के विरूद्ध **धारा–383 बी०एन०एस०एस० (धारा–344 दं०प्र०सं०) की कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।**

## आदेश

अभियुक्तगण अजीत उर्फ निखिल, मारकण्डेय व अतरवासी देवी को सत्र परीक्षण संख्या–53/2021, मुकदमा अपराध सं0–79/2020, अन्तर्गत धारा–498ए, 304–बी, 504,506 भा०दं०सं० तथा वैकल्पिक आरोप धारा–302 भा०दं०सं० तथा धारा–4 डी0 पी0 एक्ट, थाना–मदनपुर, जिला देवरिया के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं उनके जमानतनामे व बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

साक्षी पी०डब्लू०–2 रघुवीर सिंह पुत्र अभिराम सिंह,ग्राम पकड़ी बाजार, थाना मदनपुर, जिला देवरिया के विरूद्ध इस निर्णय में व्यक्त सम्प्रेक्षण के परिपेक्ष्य में पृथक से **धारा–383 बी०एन०एस०एस० (धारा–344 दं०प्र०सं०) में अभियोग दर्ज कर नोटिस प्रेषित की जाये।**

**दिनांक– 30.08.2025**

**(मृदॉशु कुमार)**
**अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**त्वरित न्यायालय सं०–प्रथम, देवरिया।**
**जे०ओ० कोड– UP 1858**

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित कर मुद्रांकित किया गया।

**दिनांक– 30.08.2025**

**(मृदॉशु कुमार)**
**अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**त्वरित न्यायालय सं०–प्रथम, देवरिया।**
**जे०ओ० कोड– UP 1858**



Digitally signed by MRADANSHU KUMAR
Date: 2025.09.30 11:29:38 IST
Reason: Judgement
Location: Addl. District and Sessions judge,deoria